भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–99/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.08.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 20.09.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.09.2019 को उपस्थापित करें। 31.8.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 25.10.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.10.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.10.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुआ को स्मारित करें। अगली तिथि 06.11.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 06.11.2019 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
06.11.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** के पत्रांक–**149**, दिनांक–**06.09.2019** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–26.10.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **त्रिलोचन महतो**, पिता–**स्व0 फुलचाँद महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम–**हाड़ीमारा**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी **सोनुआ** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा–**हाड़ीमारा**, थाना नं0–103, थाना–**सोनुआ**, खाता नं०–192, खेसरा नं0–678, रकवा–4½ डि0 भूमि क्रेता **हरेकृष्णा महतो**, पिता–**स्व0 पान्डु महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम–**हाड़ीमारा**, थाना–**सोनुआ**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **त्रिलोचन महतो**, पिता–**स्व0 फुलचाँद महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम–**हाड़ीमारा**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**सोनुआ**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु** बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **सोनुआ** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.9½ ए0** भूमि अवशेष बचता है। बिक्रेता द्वारा शपथ पत्र संख्या– 58, दिनांक– 06.11.2019 द्वारा बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त राजनगर अंचल अंतर्गत ग्राम–राजनगर में 50 डि0 भूमि बिक्रेता के पास है। उक्त के आलोक में बिक्रेता के पास कुल अवशेष भूमि **2.59½ ए0** भूमि अवशेष बचता है। अंचल अधिकारी, **सोनुआ** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **त्रिलोचन महतो**, पिता–**स्व0 फुलचाँद महतो**, जाति–**कुर्मी (अ.पि.वर्ग)**, ग्राम–**हाड़ीमारा**, थाना–**सोनुआ**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **30,000/– (तीस हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 6.11.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	